



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2019/कार्तिक 30, 1941

No. 368]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019/KARTIKA 30, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2019

मामला सं. एसएसआर-10 /2019

विषय : चीन जन. गण. नायलान टायर कोर्ड फेब्रिक के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

- फा. सं. 7/22/2019-डीजीटीआर.—**1. वर्ष 1995 में और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'नायलान टायर कोर्ड फेब्रिक' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
2. यतः चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई थी और उसके बाद प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. 14/20/2003-डीजीएडी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी। अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दिनांक 27.04.2005 की अधिसूचना सं 36/2005-सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
3. यतः संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. 14/20/2008-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जाँच की शुरुआत की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 31 मार्च, 2009 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/20/2008-डीजीएडी

द्वारा यह निष्कर्ष दिया कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी और पाटनरोधी शुल्क को लगाए रखने की सिफारिश की।

4. यतः दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी और प्राधिकारी ने दिनांक 13 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं 15/13/2013-डीजीएडी द्वारा शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की और उसे दिनांक 12 जून, 2015 की अधिसूचना सं 30/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था।
5. यतः, एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, ने अपने सदस्यों में. एसआरएफ लि. और मै. सेंचुरी एंका लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) की ओर से अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार चीन जन. गण. से नायलान टायर कोर्ड फेब्रिक के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की है।
6. यतः, तथ्यों और आकड़ों के आधार पर प्राधिकारी की राय यह है कि चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

क. विचाराधीन उत्पाद

7. याचिका में विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच के समान है जिसे अंतिम जाँच परिणाम में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है

"वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित नायलान टायर कोर्ड फेब्रिक (एनटीसीएफ) है। संबद्ध वस्तु नायलान का एक फेब्रिक है जिसका प्रयोग मुख्यतः टायर कोर्ड में होता है। एनटीसीएफ का प्रयोग विभिन्न प्रकार के टायरों में किया जाता है जैसे बस और ट्रक के टायर, दुपहिया के टायर, साइकिल के टायर, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के टायर, जानवरों से चालित वाहनों के टायर आदि।

नायलान टायर कोर्ड फेब्रिक को यार्न के विभिन्न डेनियर का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। इस फेब्रिक का प्रयोग टायरों की रीइन्फोर्समेंट के लिए किया जाता है। इस उत्पाद को 'ग्रे फेब्रिक' या 'डिप्ड फेब्रिक' के रूप में भी बेचा जाता है। यह विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न रूप ही हैं। भारतीय टायर उद्योग ग्रे और डिप्ड दोनों फेब्रिक की खरीद करता है। सभी प्रकार के एनटीसीएफ विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं और उन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 59, सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5902.10.00 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।"

8. चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद पहले से की गई जाँच में यथा परिभाषित के समान ही रहेगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

ख. समान वस्तु

9. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

10. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
11. विचाराधीन उत्पाद के दायरे को पूर्ववर्ती अंतिम जाँच परिणाम के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए के समान ही रखा गया है। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान समीक्षा जाँच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश से आयातित की जा रही वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

12. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए याचिका एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, ने अपने सदस्यों में, एसआरएफ लि. और मै. सेंचुरी एंका लि. की ओर से दायर की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदकों का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है।
13. आवेदकों ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश में किसी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। यद्यपि सेंचुरी एंका लि. जाँच अवधि के दौरान एक प्रयोक्ता बिरला टायर्स लि. से संबंधित रहे थे तथापि उक्त संबंध जाँच शुरुआत के समय मौजूद नहीं था।
14. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत

15. पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सही ठहराते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ङ. संबद्ध देश

16. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में शामिल संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

च. जाँच अवधि

17. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) जुलाई 2018 से जून 2019 (12 महीनों) की है और क्षति जाँच अवधि अप्रैल 2016 से मार्च, 2017, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 और अप्रैल 2018 से मार्च 2019 और जाँच अवधि है। इसके अलावा पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए जाँच अवधि के बाद की अवधि के आकड़ों की भी जाँच की जा है।

छ. प्रक्रिया

18. इस समीक्षा में अधिसूचना सं. 15/13/2013-डीजीएडी, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित अंतिम जाँच परिणाम जिसमें चीन जन. गण. से नायलान टायर कोर्ड फेब्रिक के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी के सभी पहलू शामिल होंगे।
19. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

20. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

झ. हितबद्ध पक्षकारों का पंजीकरण और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।
23. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर **गोपनीय या "अगोपनीय" अंकित** होना चाहिए और उनके साथ साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।
25. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय अंश की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय अंश की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
26. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है/ ऐसी सूचना का सारांशीकृत क्यों नहीं किया जा सकता है।
27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, विशेष सचिव और महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2019

Case No. SSR 10/2019

Sub : Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of Nylon Tyre Cord Fabric from China PR.

File No.7/22/2019-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Nylon Tyre Cord Fabric” (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter collectively referred to as the subject country).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the China PR was initiated by the Authority and thereafter, Final Finding Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/20/2003-DGAD dated 9th March, 2005 recommending imposition of definitive duty. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed vide Notification No. 36/2005-Customs dated 27.04.2005.
3. Whereas, a Sunset Review (SSR) investigation was initiated by the Authority in respect of the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country vide Notification No 14/20/2008-DGAD dated 16th September, 2008. The Authority vide Final Findings Notification No. 14/20/2008-DGAD dated 31st March, 2009 concluded that the expiry of anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury and recommended continued imposition of the anti-dumping.
4. Whereas, a second sunset review investigation was initiated and the Authority recommended continuation of duties vide Notification No. 15/13/2013-DGAD dated 13th April, 2015 and the same was imposed vide Notification No. 30/2015-Customs (ADD) dated 12th June, 2015.
5. Whereas, the Association of Synthetic Fibre Industry, on behalf of its members, M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. (hereinafter referred to as ‘Petitioners’) have filed a review petition for continued imposition of Anti-dumping duty on imports of Nylon Tyre Cord Fabric from China PR, in accordance with the Act and Rules.
6. Whereas, based on the facts and data, the Authority is of the opinion that there is a need to review for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the China PR.

A. Product under Consideration

7. The product under consideration in the petition is the same as the original investigations, which was defined as follows in the final findings-

“The product under consideration in the present petition is Nylon Tyre Cord fabric (NTCF) originating in or exported from China. The subject good is a fabric of nylon, meant largely for tyre cord. NTCF finds application in different kinds of automotive tyres such as bus & truck tyres, two wheeler tyres, cycle tyres, Light commercial Vehicles tyres, Animals Driven vehicles etc.

Nylon Tyre Cord fabric is produced using different deniers of yarn. The fabric is used for reinforcement of tyres. The product is sold as "Grey fabric" and also "Dipped fabric". These are only different forms of the product under consideration. The Indian Tyre Industry is buying both grey and dipped fabric. All types of NTCF are within the scope of the product under consideration and are classified under Chapter 59, Custom subheading no. 5902.10.00 of the Customs Tariff Act."

8. Since the investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Further, no significant developments have taken place over the period.

B. Like Article

9. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

10. Petitioners have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject country. Subject goods produced by the Petitioners and imported from the subject country are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
11. The scope of the product under consideration has been kept the same as was considered by the Designated Authority at the time of previous final findings. Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as 'like article' to that being imported from the subject country for the purpose of the present review investigation.

C. Domestic Industry

12. The petition for initiation of sunset review is being filed by the Association of Synthetic Fibre Industry, on behalf of its members, M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. As per the information available, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods.
13. The applicants have not imported the subject goods & are not related to any exporter in the subject country. Although Century Enka Ltd. was related to a user, Birla Tyres Ltd. during period of investigation, the said relationship did not exist at the time of initiation.
14. As per the evidence available on record, the production of the applicant accounts for a major proportion in the total domestic production of the like article. The petitioners thus constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. Initiation of Sunset Review Investigation

15. Having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

E. Subject Country

16. The subject country involved in the present sunset review investigation is China PR.

F. Period of investigation

17. The period of investigation (POI) for the present investigation is July 2018 to June 2019 (12 Months) and the injury investigation period is from April 2016 to March 2017, April 2017 to March 2018 and April 2018 to March 2019 and POI. Further, the data beyond POI will also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

G. Procedure

18. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/13/2013-DGAD dated 13th April, 2015 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Nylon Tyre Cord Fabric from China PR.
19. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

H. Submission of Information

20. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001**

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

I. Time Limit for Registration of Interested Parties and Filing of Response

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.
23. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

J. Submission of Information on Confidential Basis

24. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.
25. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
26. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

K. Inspection of Public File

30. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

L. Non-Cooperation

31. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Special Secy. & Director General